hssca

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

(राज्य सरकार का संस्थान)

Haryana State Seed Certification Agency

(A State Government Undertaking)

Registered Office
PANCHKULA (HARYANA), INDIA
Telephone No. 0172-2567642 (O)
Email: hsscapkl@gmail.com

Administrative Office
Beej Parmanikaran Bhawan, 11-12,
Sector-14, Panchkula-134109, Haryana
Tel 0172-2587573; Fax 0172-2574134

No. HSSCA/2016/ 2846 – 2851 Dated: 19-7-16

सेवा में,

मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,
करनाल, हिसार, सिरसा
उप–मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,
रोहतक तथा
बीज विश्लेषक,
बीज परीक्षण प्रयोगशाला,
पंचकुला / रोहतक।

विषयः– <u>दिनांक 17.06.2016 को संस्था के मुख्यालय पंचकुला में उप–निदेशक, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की अध्यक्षता में हुई तकनीकी एवं अन्य अधिकारियों की बैठक की कार्यवाही।</u>

दिनांक 17.06.2016 को 11:30 बजे निदेशालय के उप–निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही की प्रोसिडिंग की प्रति साथ संलग्न करके आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संलग्नः– कार्यवाही रिपोर्ट (5 पेज)।

19/7/16
उप–निदेशक
O/C Sd/-

Endst no:- 2853 Dated:- 20-7-16

स्थापना शाखा, HSSCA, Panchkula को सूचनार्थ एवं प्रत पत्र पर आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने बारे प्रेषित है।

[signature]

विषयः– **दिनांक 17.06.2016 को संस्था के मुख्यालय पंचकुला में उप–निदेशक, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की अध्यक्षता में हुई तकनीकी एवं अन्य अधिकारियों की बैठक की कार्यवाही।**

दिनांक 17.06.2016 को निदेशालय के उप–निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक जिसमें भाग लेने वाले अधिकारियों की सूचि साथ संलग्न है, में प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले बीज की गुणवत्ता को ओर अधिक कैसे बेहतर किया जाए तथा संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता एंव तेजी लाने वाले मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया जो कि निम्नलिखित हैः–

क) सामान्य

1. कार्य में शीघ्रता एवं पारदर्शिता लाने के लिए कार्य समय पर किया जाए एवं उपलब्ध electronic माध्यमों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए।
2. संस्था के प्रत्येक कार्यालय में आधार बेस उपस्थिति पद्वति चालू हो गई है, अतः इसका समुचित उपयोग किया जाए।
3. देखने में आया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को भेजे जाने वाले किसी भी कार्य जैसे firm registration/renew, plant registration/ renewal प्रमाणित से प्रमाणित बीज उत्पादन की स्वीकृति, custom processing इत्यादि की स्वीकृति के लिए आवश्यक कागजात पूर्ण किए बिना अथवा सही प्रकार से नहीं भेजे जाते। इस कारण कार्य में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः इस ओर पूर्ण ध्यान देते हुए भेजे जाने वाले केस के साथ सभी आवश्यक कागजात प्रेषित किया करें।
4. प्रमाणीकरण कार्य समयबद्ध होने के कारण समय का विशेष ध्यान रखा जाए, विभिन्न कार्यों जैसे उत्पादक सूचि लेने, physical verification करने आदि के लिए तिथि निर्धारित है, अतः उसी अनुसार कार्य करें।
5. सरकार की eradication of corruption नीति के अन्तर्गत पूर्ण ईमानदारी के साथ संस्था का कार्य किया जाए।

ख) फसल निरीक्षणः

1. सभी बीज उत्पादकों से उत्पादक सूचि निर्धारित तिथि तक ही आपके कार्यालय में पंहुचनी चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद उत्पादक सूचि स्वीकार न की जाए।

2. सूचि प्राप्त होने के उपरांत सूचि की जांच करके क्षेत्र का बंटवारा विभिन्न बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों में समय से कर दिया जाए ताकि निरीक्षण का कार्य समय पर आरम्भ हो सके।
3. बीज स्त्रोत का वैरीफिकेशन करते समय सभी आवश्यक कागज़ात की जांच की जाए और उसके उपरांत ही निरीक्षण का कार्य किया जाए।
4. बीज फसल के निरीक्षण का कार्य निर्धारित अवस्था (Stage) पर किया जाए तथा समस्त निरीक्षण कार्य न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार ही हों। सम्बन्धित बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट पर सम्बन्धित बीज उत्पादक के हस्ताक्षर हों तथा एक प्रति बीज उत्पादक को देते हुए दूसरी प्रति आपके कार्यालय में तुरन्त भेजी जाए जिसकी जांच आपके कार्यालय द्वारा भी अच्छी प्रकार से कर ली जाए। निरीक्षण किए गए क्षेत्र व आईसोलेशन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की गणना रिपोर्ट में ठीक से दर्ज की जाए। निरीक्षण के समय खेत में कांउट्स निर्धारित मानकों के अनुसार लिए जाएं और यदि कोई खेत मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता तो उसको निरस्त करते समय उसका उल्लेख किया जाए और सम्बन्धित बीज उत्पादक को क्षेत्र के निरस्त होने के कारण बारे स्पष्ट कर दिया जाए। यदि कोई बीज उत्पादक इस निरस्त होने वाले क्षेत्र के बारे में कोई आपत्ति लिखित रूप से करता है तो उसकी सुनवाई कर उचित कार्यवाही तुरन्त की जाए।
5. अन्तिम निरीक्षण के समय अनुमानित उपज का आंकलन करते समय फसल की दशा को ध्यान में रखते हुए अत्याधिक सावधानी बरती जाए तथा सही ढंग से आंकलन करने के पश्चात ही अनुमानित उपज अंकित की जाए। कुल उपज का आंकलन करते समय फसल का आईसोलेशन क्षेत्र तथा अन्य कारणों से अस्वीकृत क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा जाए।

ग) बीज प्रोसैसिंग

1. बीज प्रोसैसिंग से पहले रा–बीज का भौतिक सत्यापन करवाने के लिए बीज उत्पादक द्वारा निर्धारित तिथि तक सूचि आपके कार्यालय में दी जानी चाहिए और उसका भौतिक सत्यापन शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाए ताकि प्रोसैसिंग का कार्य भी बीज उत्पादक द्वारा समय पर आरम्भ किया जा सके। भौतिक सत्यापन के समय यह सुनिश्चित करें कि रा–बीज का भंडारण फसलवार व किस्मवार ठीक ढंग से किया हुआ हो। बोरियों पर पहचान नं0 / आई.एफ. नं0 ठीक तरह से अंकित हो।
2. बीजों की प्रोसैसिंग आरम्भ करवाते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रोसैसिंग प्लान्ट का नवीकरण हुआ हो।

3. उत्पादक / उत्पादन संस्थाओं द्वारा जो रा–बीज की मात्रा प्रोसैंसिंग के लिए आफर की जाती है उसका मिलान संस्था द्वारा जारी अनुमानित मात्रा की सूचि से किया जाए तकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फसल की जाति, श्रेणी तथा अनुमानित उपज आदि का विवरण आफर की गई मात्रा के अनुसार है।
4. प्रोसैसिंग के लिए रा–बीज की जो मात्रा आफर की जाती है उसकी बोरियों पर लिखा पहचान नं0 / आई.एफ.नं. को चैक किया जाए, ताकि जातियों के मिश्रण की संभावना न रहे।
5. प्रोसैसिंग आरम्भ करने से पूर्व रा–बीज की नमी मायश्चर मीटर से ठीक प्रकार से जांच लें तथा निर्धारित अन्तराल में कट्टों में भरी जाने वाली मात्रा से नमूना लेकर जांच करने उपरांत उसका विवरण क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर में अंकित करें।
6. प्रोसैसिंग बीज मात्रा पर दिए जाने वाले टैगज पर सारी सूचना भरी जाए और भरने के उपरान्त सम्बन्धित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के नाम तथा पद की मोहर लगाने के पश्चात उस पर उसके हस्ताक्षर इस प्रकार से किए जाएं कि उनकी नकल करना सम्भव न हो।
7. सुनिश्चित करें कि भरे जाने वाले सभी प्रमाणित बीज के कट्टों पर वांछित सूचना लिखी होनी चाहिए तथा अनावश्यक शब्दावली अथवा भ्रामक सूचना लिखना सर्वदा निषेध हो।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो टैगज बीज के लिए जारीं हुए हैं उन सभी का इन्दराज टैगज एकाउंट रजिस्टर में सही प्रकार से किया जाए।
9. प्रोसैस्ड बीज की मात्रा का नमूना सम्बन्धित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी नियमानुसार लेकर उसको अपनी उपस्थिति में पोलिथिन बैग में पैक करें और फारवर्डिंग लैटर लगाकर संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय में समय पर पंहुचाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि बीज के नमूने संसाधन संयन्त्र पर दो दिन से अधिक न रहें। इन नमूनों पर कोड नम्बर लगाकर नियमित रूप से बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेज दिया जाए और परीक्षण रिपोर्ट आने के उपरान्त प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम अनुसार ही उत्पादक को शीघ्रता से प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।
10. सम्बन्धित रजिस्टर में वांछित कालम पूरे भरे जाएं और इन्दराज करते समय ओवर राईटिंग / कंटिग न हो।
11. बीज प्रोसैसिंग के समय यदि किसी बीज में मिलावट या उसकी किस्म बारे कोई आशंका उत्पन्न होती है, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के

वैज्ञानिक से उसकी जांच करवाकर उनकी टिप्पणी अनुसार कार्यवाही कर ली जाए।

12. एडवांस टैग लेने की हालत में सम्बन्धित बीज उत्पादक से वांछित ऐफिडेविट ले लिया जाए और यदि वह बीज, बीज–परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण उपरान्त निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो बीज के थैलों पर दिए गए एडवांस टैग हर हालत में तुरन्त उतार कर कार्यालय में जमा कराए जाएं।
13. बीज के थैलों पर टैगों की सिलाई ठीक ढंग से की जाए तथा बैगज़ पर सील को नियमानुसार लगाकर उसको सील प्लायर से प्रैस कर दिया जाए ताकि बैगज़ में रखे बीज की गुणवत्ता से छेड़छाड़ करने की सम्भावना न रहे।
14. आप स्वंय भी प्रोसैसिंग प्लान्ट्स पर अपनी विज़िट के दौरान उपरोक्त सभी पहलुओं बारे सावधानी से चैक करें तथा अपनी विज़िट बारे रजिस्टर में टिप्पणी अंकित करें।
15. अपने क्षेत्र के बीज उत्पादकों से लगातार सम्पर्क रखा जाए और यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है तो प्रमाणीकरण नियमानुसार उसे तत्परता से दूर किया जाए।
16. आधार बीज के निरीक्षण से पैकिंग तक के कार्य को अत्याधिक जागरूकता से पूर्ण करवाया जाए। ग्रो–आऊट टैस्ट के लिए आधार बीज के नमूने नियमानुसार लेकर समय पर मुख्यालय को भेजें जाएं ताकि उनका ले–आऊट समय पर करवाया जा सके। ले–आऊट कराने तथा उसकी रीडिंग लेते समय सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बड़ी सावधानी बरती जाए ताकि इस आधार बीज की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर का रखा जा सके क्योंकि आधार बीज की गुणवत्ता अच्छी होने से ही प्रमाणित बीज भी उच्च गुणवत्ता का होगा।
17. आपके क्षेत्र द्वारा प्रमाणित किए गए बीजों का Post Control trial भी नियमानुसार किया जाए, जिससे कि संस्था द्वारा तैयार किए गए बीज की गुणवत्ता बारे आंकलन किया जा सके।
18. संस्था के कार्यालय द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का documentation सही प्रकार से किया जाए, एवं समस्त रिकार्ड को नियमानुसार अच्छी प्रकार से सम्भाल कर रखा जाए।

घ) <u>बीज परीक्षण</u>

बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में बीज परीक्षण का कार्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। रबी बीज फसलों के नमूने आने प्रारम्भ हो गए

हैं। बीज परीक्षण कार्य में निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए:–

1. प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले नमूनों की प्राप्ति के बाद प्राप्ति रजिस्टर में इन्द्राज किया जाए।
2. परीक्षण हेतू प्राप्त नमूनों के मांगे गए फैक्टर्ज की जांच जैसे कि नमी (%), भौतिक शुद्धता, उगाव शक्ति, बिमारी ग्रसित बीजों की (%) आदि की जांच ध्यानपूर्वक की जाए।
3. परीक्षण उपरांत नमूनों के परिणाम निर्धारित समय के अनुसार ही प्रेषित करें।
4. प्रयोगशाला से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड एवं गार्ड सैम्पलों का रखरखाव नियमानुसार करें।

ड.) <u>स्थापना शाखा:</u>

1. अपने कार्यालय से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टी.ए. बिल एवं अन्य प्रकार की कोई भी अदायगी सम्बन्धित केस हर महीने की 10 तारिख तक निदेशालय पंहुच जाने चाहिए, ताकि समय से अदायगी की जा सके।
2. संस्था द्वारा विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के शुल्क की प्राप्ति समय से सुनिश्चित की जाए तथा व्यक्तिगत बीज उत्पादक संस्थाओं से अग्रिम रूप से शुल्क राशि प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रमाणीकरण कार्य किया जाए।
3. संस्था द्वारा जारी किए शुल्क राशि के बिल समय पर ठीक प्रकार से तैयार करके उत्पादक संस्था को प्रेषित किए जाएं।
4. देखने में आया है कि संस्था के कार्यालय से उत्पादक संस्थाओं को जारी किए जाने वाले टैग्ज का स्टोर कीपर द्वारा इन्द्राज सही प्रकार से नहीं किया जाता है, या अनावश्यक कटिंग की जाती है। इसके चलते गम्भीर अनियमितता होने की सम्भावना बनी रहती है। इस बारे मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा कार्यालय से जारी होने वाले टैग्ज रजिस्टर को समय–समय पर देखकर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

आप अपने अधीन कार्यरत सारे तकनीकी एवं अन्य स्टाफ को सख्त निर्देश दें कि बीज निरीक्षण व प्रोसैसिंग एवं अन्य कार्य को पूर्ण ध्यान देकर इस तरीके से सम्पन्न करें ताकि बीजों की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर का रखा जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की ढील को अत्याधिक गम्भीरता से लिया जाएगा।

List of Officers who attended meeting held on 17.06.2016 at 11:30 A.M.

Sr. No.	Name of the Officer	Designation	Signature
1	Sultan Singh	DCSCO, Sirsa	[signature]
2.	Sushil Chaudhary	CSCO SIRSA	[signature]
3	Surender Singh	SCO HSR	[signature]
4	Naresh Kumar	SCO HSR	[signature]
5	Sahanspal Singh.	DCSCO Sirsa	[signature]
6.	Subhash Bhardwaj	SCO Karnal	[signature]
7.	Bani Singh	T.A. PKL	[signature]
8.	Mahesh Pal Singh	S.A.	[signature]
9	Jaipal Singh Chauhan	CSCO HSR	[signature]
10.	Dr. Desh Raj	S.C.O., HSR	[signature]
11	DR Sanjeev Kumar	SCO (HQ)	[signature]
12	Vasdev	A.O	[signature] 17/06.
13	MOTI RAM SAINI	Acctt	[signature]
14	Mohan Lal Supdt	Supdt	[signature] 17/6/2016